उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1039/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(200)-2021

लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(एक) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद(iv) में, खण्ड(छ) में, अंक, अक्षर "12 कक" के पश्चात शब्द, अंक और अक्षर "अथवा 12कख" बढा दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

(क) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा(आईपी) अधिकार स्थायी या अस्थायी अन्तरण या उसके उपयोग या उपभोग को अनुज्ञात किया जाना	9	-";

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, -

(क) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(iगक) मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	-";

(ख) मद (आई डी) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख) और (iग)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" रख दिये जायेंगे;

(ग) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग),(iघ), (ii), (iiक), और(iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग),(iगक),(iघ), (ii), (iiक), और(iii)" रख दिये जायेंगे;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

(क) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;
(ख) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण संबंधी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन संबंधी सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	9	-";

(ङ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या (ख) बैले, - नीचे (iiiक) में सम्मिलित किसी स्थान से भिन्न स्थान	9	-
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं – (क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या (ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग	14	-";

(च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, स्तम्भ (3) में ,स्पष्टीकरण में, अंक, शब्द और अक्षर "अनुसूची I, क्र. सं. 234" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "अनुसूची II, क्र. सं. 201क " रख दिये जायेंगे;

(ii) 'अनुलग्नक सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम' में, क्रम संख्या 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)
"118क"	समूह 99654		भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन "

2. यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव